समाचार

स्कूल, कालेज की स्वच्छता व शौचालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम रूप से सुनिश्चित कराएं – आयुक्त

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में स्थित स्कूल, कालेज के प्रबंधन की ली बैठक, निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पाई गई कमियों की समीक्षा की, कमियों को दूर करने दिए आवश्यक दिशा निर्देश)

कोरबा 05 फरवरी 2025 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रबंधन से कहा है कि वे अपने स्कूल, कालेज की साफ–सफाई व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करने के साथ ही वहॉ पर स्थित महिला–पुरूष शौचालयों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम रूप से सुनिश्चित कराएं, छात्र–छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक रखें, उनमें स्वच्छता संस्कारों का सृजन करें, स्वच्छता समितियॉ बनाएं एवं इन समितियों को विद्यालय की स्वच्छता की जिम्मेदारी दें। उन्होने कहा कि स्कूल प्रबंधन निगम के संबंधित जोन कमिश्नरों से संपर्क कर विद्यालयों का आवश्यकतानुसार मरम्मत व सुधार एवं वहॉ की आवश्यक व्यवस्थाओं पर उनका सहयोग लें।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के मद्देनजर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न विद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। आयुक्त श्री पाण्डेय ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का आगाज शीघ्र ही होने जा रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में हमारा कोरबा सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें, इसके लिए हम सबको अपनी–अपनी सहभागिता मजबूती के साथ देनी होगी। उन्होने कहा कि शहर की स्वच्छता में हमारे छात्र–छात्राओं एवं विद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, स्कूलों की स्वच्छता भी स्वच्छ सर्वेक्षण का एक भाग है तथा इसमें प्राप्त अंक भी सर्वेक्षण की रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः स्कूल कालेज की स्वच्छता व वहॉ पर स्थित महिला, पुरूष शौचालयों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी सहित विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधिगण तथा निगम के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्कूलों में स्वच्छता हेतु निर्धारित मानदण्ड – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने इस मौके पर कहा कि स्कूल कालेज की स्वच्छता एवं वहॉ पर की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके अनुसार ◆ स्कूल द्वारा गीले कचरे व सूखे कचरे का समुचित अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए ◆ विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में एवं रसोई घर में सूखे कचरे हेतु नीला डस्टबिन एवं गीले कचरे हेतु हरा डस्टबिन उपलब्ध हों ◆ प्रत्येक स्कूल में बालक–बालिका हेतु पृथक–पृथक प्रसाधन की व्यवस्था एवं इसके संकेतक अनिवार्य रूप से लगे हों ◆ प्रसाधन रूम का फ्लोर साफ–सुथरा हो ◆ प्रत्येक प्रसाधन केन्द्र में 24 घंटे पानी की व्यवस्था हो ◆ वाशबेसिन की व्यवस्था एवं हैण्डवाश व साबुन की व्यवस्था हो ◆ प्रत्येक टायलेट में दरवाजा एवं दरवाजे में अंदर–बाहर कुंडी की व्यवस्था हो ◆ टायलेट में एग्जास्ट फैन की व्यवस्था ◆ टायलेट में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था ◆ टायलेट में नल से पानी की व्यवस्था ◆ बालिका टायलेट में सेनेटरी पैड हेतु बेंडिंग मशीन एवं इन्सीनेटर की व्यवस्था ◆ बालिका टायलेट में पीले रंग का ढक्कनयुक्त डस्टबिन की व्यवस्था ◆ स्कूल में गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था।

विद्यालयों में मरम्मत सुधार व व्यवस्थाओं हेतु प्रशासन प्रतिबद्ध – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने विद्यालयों के प्रबंधन से कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व सुधार कार्य तथा व्यवस्थाओं को बनाने हेतु जिला प्रशासन व निगम प्रशासन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, इस दिशा में हम सभी को कलेक्टर श्री अजीत वसंत का सतत मार्गदर्शन मिल रहा है, अतः विद्यालयों में मरम्मत व सुधार तथा व्यवस्थाओं को बनाने में जो भी आवश्यक हो, उसे हमें बताएं, उन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता व साफ–सफाई से संबंधित जो कमियॉ पाई गई हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए।

खाद बनाने निगम उपलब्ध कराएगा कम्पोस्ट डस्टबिन – आयुक्त श्री पाण्डेय ने प्रबंधन से कहा कि विद्यालयों में गीले कचरे से खाद बनाने हेतु निगम दो–दो नग कम्पोस्ट डस्टबिन उपलब्ध कराएगा, विद्यालयों के रसोई घर से उत्सर्जित गीले अपशिष्ट, छात्र–छात्राओं के टिफिन आदि का अपशिष्ट एवं अन्य गीले अपशिष्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी निगम के स्वच्छता कमांडों देंगें। स्कूल प्रबंधन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें, स्कूलों में तैयार इस खाद को आप अपने विद्यालय के पेड़–पौधों व उद्यानिकी कार्यो में उपयोग कर सकते हैं।

शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1100 – आयुक्त श्री पाण्डेय ने स्कूल प्रबंधन से कहा कि नगर निगम से संबंधित विभिन्न कार्यो से जुड़ी शिकायतों के निराकरण हेतु टोल फ्री नम्बर 1100 (निदान) में कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, विद्यालय के छात्र–छात्राओं को भी इस टोल फ्री नम्बर की जानकारी दें, ताकि वे अपने घर, गली मोहल्लें के लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकें।